

न्यायालय:- नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़ (छ.ग.)

विविध आदेश

क्रमांक-६५/सीजेएम/रि./2024

रायगढ़ दिनांक 30/12/2024

मैं नेहा यति मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़, जिला रायगढ़ (छ0ग0) धारा 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला न्यायालय, रायगढ़ क्षेत्राधिकार में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट के मध्य माह जनवरी एवं फरवरी - 2025 के शासकीय अवकाश के लिए निम्नानुसार रिमाण्ड ड्यूटी लगाता हूँ:-

श्री प्रवीण मिश्रा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री देवाशीष ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्रीमती भावना नायक ठाकुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़
02/02/2025	18/01/2025 26/01/2025 09/02/2025	05/01/2025 08/02/2025
कु. प्रीति न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री निलेश जगदल्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़	श्री सौरभ बारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़
11/01/2025 16/02/2025	12/01/2025 23/02/2025	19/01/2025 15/02/2025 26/02/2025

टीप:- (01) उपरोक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी तिथि को 3:00 बजे से 5:00 बजे अपने न्यायालयीन स्टॉफ के साथ अपने न्यायालय कक्ष में आवश्यक दायित्व कार्य सम्पादित करेंगे। यदि कोई मजिस्ट्रेट किन्हीं कारणों से रिमाण्ड ड्यूटी करने में असमर्थ रहते हैं या अवकाश लेते हैं, तो पूर्व में वैकल्पिक व्यवस्था हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित करेंगे एवं रिमाण्ड ड्यूटी परिवर्तन के पश्चात् ही मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को सूचित कर मुख्यालय छोड़ेंगे।

(02) यदि किसी कारणवश कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट रिमाण्ड ड्यूटी के दिन अवकाश पर रहता है तो कार्य विभाजन पत्र के अनुसार या अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की सहमति लिया जाकर रिमाण्ड परिवर्तन किया जा सकेगा।

(03) यदि माह जनवरी एवं फरवरी 2025 में किसी तिथि को आकस्मिक अवकाश घोषित होती है, तो इस दशा में माह जनवरी में श्री सौरभ बारा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ एवं माह फरवरी में श्री निलेश जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रायगढ़ रिमाण्ड ड्यूटी संपादित करेंगे।

सही/-
(नेहा यति मिश्रा)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
रायगढ़ (छ.ग.)